न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 59/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.)।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रकाश कारवानी पुत्र श्री हंसराजमल करवानी (भागीदार एवं विक्रेता) मै. यश एजेन्सी। निवासी–22 ए महावीर कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।

(2) श्री हरीश करवानी पुत्र श्री हूकुमतराय करवानी (भागीदार) मै. यश एजेन्सी। निवासी–बंसीलाल छोत्मल का हता, शिव मार्ग, रातानाड़ा, जोधपुर।

(3) मै. यश एजेन्सी, शॉप न. 11 व 15 बी.जी. मार्केट रिया हाउस, सोजती गेट, जोधपुर।

(4) श्री वी. दिनेश रेड्डी पुत्र श्री वी. द्वारकानाथ रेड्डी (मैनेजिंग डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–Kaivalya Palamaner road, Chittoor-517022.

(5) श्री वी. विक्रम रेड्डी पुत्र श्री वी. सुरेन्द्र नाथ रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–2-788 sathyanarayana puram, Chittoor-517001.

(6) श्री वी. मधुसुदन रेड्डी पुत्र श्री वी. सुरेन्द्र नाथ रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–2-788 sathyanarayana puram, Chittoor-517001.

(7) श्री के सिवामोहन रेड्डी पुत्र श्री के धर्म रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–Kamalathmika 2-80 Gurunagar colony, Chittoor-517001.

(8) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. यश एजेन्सी शॉप नं. 11 व 15, बी.जी.एस. मार्केट रिया हाउस, सोजती गेट, जोधपुर दुकान में 64 पैक्ड शिल्ड जार जिनमें प्रोपराईटर फूड प्योर मैंगो फ्रुट बार (नैचुरो) 460 ग्राम के पोलीपैक जार आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त प्रोपराईटर फूड प्योर मैंगो फ्रुट बार (नैचुरो) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 561/– नगद देकर 4 पैकेट प्रत्येक का वजन 460 ग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा प्रोपराईटर फूड प्योर मैंगो फ्रुट बार (नैचुरो) की चारों मूल पैक पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–598 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–598 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी

की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–598 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि प्रोपराईटर फूड प्योर मैंगो फ्रुट बार (नैचुरो) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–598 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 584/एक्ट/2017/584 दिनांक 21.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–598 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस की तथा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की केवल मात्र लेबल पर उसकी मयाद का विवरण छोटे अक्षरों में उल्लेखित है जो कि मिथ्याछाप की परिभाषा में उल्लेखित घटकों के तहत नहीं आता है। अतः परिवाद खारिज करने के योग्य है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 584 दिनांक 21.06.2017 का अवलोकन किया। जिसमें खाद्य विश्लेषक ने बिन्दू संख्या 3 में "Best before 12 months from packing" छोटे अक्षरों में लिखे जाने से contravention of Regulation No. 2.2.2 (10) of Food Safety and Statndards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.) का उल्लघंन है, जिससे में सहमत हूँ। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 5000 अक्षरे रूपये पाँच हजार तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 से 8 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 10000 अक्षरे दस हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.07.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियत तिथी में शास्ती राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के मार्फत भू–राजस्व की तरह वसूली की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/1496–1504 दिनांक :–17.7.2019

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना निश्चित समयावधि में सुनिश्चित करें।
3. श्री प्रकाश कारवानी पुत्र श्री हंसराजमल करवानी (भागीदार एवं विक्रेता) मै. यश एजेन्सी। निवासी–22 ए महावीर कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।
4. श्री हरीश करवानी पुत्र श्री हूकुमतराय करवानी (भागीदार) मै. यश एजेन्सी। निवासी–बंसीलाल छोत्मल का हता, शिव मार्ग, रातानाड़ा, जोधपुर।
5. मै. यश एजेन्सी, शॉप न. 11 व 15 बी.जी. मार्केट रिया हाउस, सोजती गेट, जोधपुर।
6. श्री वी. दिनेश रेड्डी पुत्र श्री वी. द्वारकानाथ रेड्डी (मैनेजिंग डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–Kaivalya Palamaner road, Chittoor-517022.
7. श्री वी. विक्रम रेड्डी पुत्र श्री वी. सुरेन्द्र नाथ रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–2-788 sathyanarayana puram, Chittoor-517001.
8. श्री वी. मधुसुदन रेड्डी पुत्र श्री वी. सुरेन्द्र नाथ रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–2-788 sathyanarayana puram, Chittoor-517001.
9. श्री के सिवामोहन रेड्डी पुत्र श्री के धर्म रेड्डी (डाइरेक्टर) मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर। निवासी–Kamalathmika 2-80 Gurunagar colony, Chittoor-517001.
10. मैसर्स Naturo Food and Fruit Products Private Ltd. C&F प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी ऐ 21 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाईस गोदाम, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2019.08.21 16:19:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: